दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

2291

पत्रांक : 1371 /05/76/एक/2016–17 दिनांक : 11 जुलाई 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सिद्धार्थनगर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बडौदा	31780100002085	IFSC Code BARBOTETARI	112.222

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एससीपी–83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
1	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में बांध से रविन्द्र के घर होते हुये कब्रिस्तान एवं शमशान घाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.397
2	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में पोखरे से विरेन्द्र, सोमई व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.435
3	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में कमालू के घर से राजू, हरखू, शिवदास, राधे, जुगनी, धर्मराज, वृजभान, स्वामीनाथ, त्रिलोकी, उदयभान व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.170
4	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में सुधीर के घर से फूलचन्द्र के घर होते हुये बांध व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.727
5	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में ओम प्रकाश के घर से दुर्गेश, रामदास, चन्दर, घूरे, तेजू व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.495
6	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में लखन के घर से रामदास, घनश्याम, चन्दर, किशोर, रामलाल, भरत व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.814
7	सिद्धार्थनगर	एससीपी–83	न0पं0 उस्का बाजार	वार्ड नं0 04 कृष्णानगर में पिचरोड से काली माता के स्थान व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.184
	योग				112.222

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेः–

229/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व मे राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी नही गयी है।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता–सूडा
3. कम्प्यूटर सेल–सूडा।
4. लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक